झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)बाह्य–स्वा०चि०शि०प०क०वि०–09–16 / 2018 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री निरंजन (ID-3215) तत्कालीन सहायक अभियंता, सम्प्रति मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, राँची के विरूद्ध ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सरायकेला में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के तहत् विभागीय संकल्प सं०– 879 दिनांक– 17.02.2022 एवं शुद्धिपत्र ज्ञापांक– 1666 दिनांक– 22.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री निरंजन तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किया गया :–

(i) अनुमण्डलीय अस्पताल भवन निर्माण चांडिल की रू० 4,07,77,000.00 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक– 19.09.2008 को विभाग द्वारा दी गयी थी। कार्य प्रारम्भ करने के समय अनुसूचित दर में बदलाव के कारण रू० 4,95,14,000.00 की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी गयी, परन्तु बिना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुमति अथवा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये कार्य कराने के कारण कार्य अधूरा रह गया। अधूरा रहने के कारण व्यय अनुपायोगी रह गया। भवन निर्माण में खर्च किये गये राशि रू० 4,04,96,454.00 का अपव्यय हेतु आप जिम्मेदार है।

(ii) अनुमण्डलीय अस्पताल भवन निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य के लिए आप जिम्मेदार है।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री निरंजन, तत० सहायक अभियंता के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, का मंतव्य दिया गया है, जो निम्नवत् है :–

"संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०–1 पर मंतव्य दिया गया है कि वस्तुतः प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राप्त आवंटन का अर्थ होता है Go ahead अर्थात् काम शीघ्र करें तथा P.W.D Code के नियम–183 एवं 214 के आलोक में यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित आकलन शीघ्र भेजे। पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना काम नहीं शुरू करने का नियम न तो उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिया गया है और न ही व्यवहार में ऐसा देखा गया है। अतः पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य कराने का आरोप तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदा० द्वारा आरोप सं०–2 के संबंध में मंतव्य दिया गया है कि वस्तुतः SBD के Clause 33.1, 35,1, 35.2 एवं 54.1 में Defect Liability तथा Cost of Repair का प्रावधान है। चूँकि कार्य Running है तथा प्राक्कलन पुनरीक्षित एवं प्रशासनिक स्वीकृति की अवस्था में है। ऐसी परिस्थिति में अगर ससमय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होती एवं तदनुरूप आवंटन प्राप्त होते तो कार्य समाप्ति के पूर्व Defect दूर कर लिये जाते। अतः आरोप सं०–02 भी तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है। "

P.T.O

4. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए श्री निरंजन (ID-3215) तत्कालीन सहायक अभियंता, सम्प्रति मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, राँची के विरूद्ध उक्त गठित आरोप से उन्हें मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. अतएव एतद् द्वारा उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –...../राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर–जमशेदपुर/उपायुक्त, सरायकेला–खरसाँवा/उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसाँवा/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सरायकेला–खरसाँवा/कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा/ श्री निरंजन, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –4685/राँची, दिनांक– 07/09/22

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/22

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव